संख्या-685/2026/आई/1408523/23-1-26/006-23-1002(002)/301/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 30,72,74,000/- (रूपये तीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	23772/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	17-07-2026
2	23776/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	17-07-2026
3	23790/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	17-07-2026
4	23792/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	17-07-2026
5	23805/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	20-07-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
6	23806/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	20-07-2026
7	23811/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2026-27	20-07-2026
8	23816/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	20-07-2026
9	23862/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	21-07-2026
10	23869/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2026-27	21-07-2026
11	23872/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2026-27	21-07-2026
12	23904/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	22-07-2026
13	23910/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	22-07-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
1	नि.ख. मेरठ	रोहटा रोड से रासना मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	449 /2025/आई/110 7888/23-1-25/006-23-1002(002)/184/ 2025 -दिनांक-04-10-2025	496.95 496.95 286.64 1.96 494.99	98.44	12.51	384.04	20.00
2	नि.ख. मेरठ	मेरठ मवाना पौड़ी मार्ग के चैनेज 5.800 से 7.700 एवं चैनेज 7.900 से 11.500 तक (अ0जि0मा0) चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (नि0ख0 मेरठ 7.900 से 11.500 तक) मूल स्वीकृत लागत रू0 3934.08 लाख	711/2025/आई/ 1191292/23-1-25/001-23-1002(002)/213 /2025-दिनांक-31-12-2025	3348.09 3348.09 1734.34 1.77 3346.32	318.12	59.56	2968.64	240.00
3	नि.ख. मेरठ	बागपत रोड डालूहेडा से बहरामपुर स्कैप तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	300.73 300.73 156.39 0.80 299.93	114.09	19.02	166.82	30.00
4	नि.ख.-2 गाजियाबाद	मोदीनगर हापुड़ मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-148 डबलू) के मार्ग के चैनेज 0.625 से 13.00 तक 02 लेन विद पेव्ड	699 /2025/आई/118 4377/23-1-25/001-23-1002(002)/211/ 2025-दिनांक-23-12-2025	3862.06 3862.06 2155.65 87.30 3774.76	1079.67	65.32	2629.77	320.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
		शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।						
5	नि.ख.-2 गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद में मुरादनगर रावली सुराना मार्ग के चैनेज 0.000 से 5.000 तक में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ।	157 /2026/आई/1264588/23-1-26/001-23-1002(002)/146/2026-दिनांक-13-03-2026	1998.80 1998.80 629.98 25.50 1973.30	597.91	19.64	1355.75	379.60
6	नि.ख.-1 वाराणसी	हरसोस सुईचक गंगापुर मार्ग 1.05 किमी के चैनेज 2.000 से 3.050 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	178 /2025/आई/922673/23-1-25/001-23-1002(002)/92/2025-दिनांक-29-03-2025	2498.58 2498.58 260.24 96.60 2401.98	1047.89	10.80	1343.29	240.00
7	प्रा.ख. हमीरपुर	भवानी डेरा से लदार संपर्क मार्ग पर छूटी कडी का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आई/1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026-दिनांक-31-03-2026	192.45 192.45 124.67 13.47 178.98	31.01	12.34	135.63	50.00
8	नि.ख. अमेठी	रामनगर रा0ग्रा0 दमनपुर) सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	167.60 167.60 127.52 0.13 167.47	91.81	11.45	64.21	47.46
9	नि.ख.-2 हमीरपुर	जरिया-मुस्करा वाया सरीला मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-56बी) में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	499 /2025/आई/1126456/23-1-25/001-23-1002(002)/172/2025-दिनांक-29-10-2025	2678.54 2678.54 1338.56 798.26 1880.28	551.50	63.49	1265.29	120.00
10	प्रा.ख. बांदा	बांदा नरैनी (राज्य मार्ग सं0 113) से प्रारम्भ होकर एन0एच0-35 को क्रास करते हुए बांदा बिसण्डा (राज्य मार्ग सं0 133) तक मार्ग के किमी 1 से 8(100) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	145 /2026/आई/1245021/23-1-26/001-23-1002(002)/90/2026-दिनांक-10-03-2026	1869.56 1869.56 1330.64 1.03 1868.53	208.12	38.33	1622.08	90.00
11	प्रा.ख. मेरठ	मवाना जयसिंहपुर मिर्जापुर मार्ग से मा0 भद्रकाली मन्दिर मार्ग का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	142/2021/87 रासनि/23-1-21-71 रासनि/20-दिनांक-21-06-2021	997.84 997.84 304.47 57.84 940.00	442.42	0.00	497.58	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
12	प्रा.ख. मेरठ	खरखौदा मोहिउद्दीनपुर से गेझा सिवालखास (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	487 /2025/आई/112 4327/23-1-25/001-23-1002(002)/238/ 2025 -दिनांक-27-10-2025	2494.36 2494.36 1359.52 200.00 2294.36	624.15	52.82	1617.39	120.00
13	प्रा.ख. मेरठ	कबूलपुर से आश्रम मंदिर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	118 /2026/आई/125 2972/23-1-26/001-23-1002(002)/81/2 026-दिनांक-26-02-2026	138.16 138.16 78.26 6.39 131.77	21.44	9.44	100.89	25.00
14	प्रा.ख. मेरठ	ग्राम जैनपुर से शताब्दीनगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग तक नव निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	15.64 15.64 9.44 1.93 13.71	8.73	1.06	3.92	2.00
15	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में बडौत छपरौली टाण्ड मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का हरियाणा सीमा तक (चै0 0.000 से 20.765 कि0मी0) में मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	542/2025/1131 253/23-1-25/001-23-1002(002)/195/ 2025-दिनांक-03-11-2025	4994.77 4994.77 3124.03 0.45 4994.32	2048.28	105.88	2840.16	150.00
16	प्रा.ख. बागपत	टटीरी से दुडभा मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	142.25 142.25 76.10 4.00 138.25	82.63	9.72	45.90	20.00
17	प्रा.ख. बागपत	ग्राम मुकारी से दत्तनगर कहरका मार्ग तक मार्ग का निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	130.68 130.68 68.98 2.39 128.29	96.09	8.85	23.35	10.52
18	प्रा.ख. बागपत	गांव ककौर खुर्द में रजनेश पुत्र भगवानशा के घर से ककौरकलां सबगा नहर पुलिया तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	97.38 97.38 53.12 3.80 93.58	84.54	6.60	2.44	2.44
19	प्रा.ख. बागपत	गोरखनाथ मन्दिर भगवानपुर नांगल से इदरीशपुर तक मिसिंग	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-	40.70 40.70 22.25 3.45	21.90	2.75	12.60	8.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
		लिंकका नवनिर्माण काकार्य	1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	37.25				
20	प्रा.ख. बागपत	गुराना से हिलवाडी, औसिक्का, सुजरा, निरोजपुर होते हुए गुफा मंदिर तक संपर्क मार्ग का नवनिर्माण	271/2026/आई/1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026-दिनांक-31-03-2026	922.03 793.43 485.07 0.00 793.43	10.00	48.10	735.33	72.00
21	नि.ख.-3 जालौन	उरई-चुर्खी सिम्हारा पाल सरैनी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-047 बी0) के किमी0 2 (500) से 16 व 17 (500) तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	559 /2025/आई/1139750/23-1-25/001-23-1002(002)/189/2025-दिनांक-11-11-2025	3623.78 3623.78 1993.37 8.17 3615.61	1136.42	59.51	2419.68	300.00
22	नि.ख.-2 जौनपुर	छतीसा खुर्द कहार बस्ती सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	88.47 88.47 62.58 6.35 82.12	4.12	5.99	72.01	60.00
23	नि.ख.-2 जौनपुर	सिकरारा बरईपार मार्ग अन्य जिला मार्ग के चैनेज 0.000 से 13.110 तक मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य ।	159 /2026/आई/1266198/23-1-26/001-23-1002(002)/152/2026 -दिनांक-13-03-2026	1961.33 1781.57 1438.59 41.29 1740.28	1396.54	42.23	301.51	76.49
24	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा में देवा सददीपुर मार्ग (अ0जि0जमा0) (लम्बाई 9.750 कि0मी0) के किमी 0.000 से 9.750 तक में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	131 /2025/आई/905925/23-1-25/001-23-1002(002)/67/2025 -दिनांक-12-03-2025	2551.31 2551.31 1040.88 87.57 2463.74	2192.27	52.33	219.14	88.97
25	नि.ख. अमेठी	माठागांव से राजापट्टी सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	79.63 79.63 63.52 0.10 79.53	13.71	5.39	60.43	50.00
26	प्रा.ख. झांसी	लो0नि0वि0 की सड़कें (सर्किट हाउस, आफिसर्स कॉलोनी, मुख्य अभियंता परिसर की सड़कें) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	739 /2024/आई/835995/23-1-24/001-23-1002(002)/230/2024 -दिनांक-28-12-2024	128.89 128.89 75.53 15.00 113.89	100.25	3.07	10.57	10.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
27	प्रा.ख. झांसी	मऊ गरौठा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के चैनेज 0.369 से 11.000 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	1410.21 1410.21 678.88 252.00 1158.21	945.70	31.73	180.78	102.00
28	प्रा.ख. बस्ती	गोटवा चिलमा ऊंजी वाया उमरिया मार्ग (किमी 17 से 21.4) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	71/2024/आई/507291/23-1-24/002-23-1002(002)/217/2023-दिनांक-28-02-2024	1098.75 1098.75 555.02 199.54 899.21	771.19	0.00	128.02	76.81
29	प्रा.ख. हमीरपुर	शेखूपुर बचरौली से काली माई का डेरा मार्ग का नव निर्माण कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	89.86 89.86 54.90 6.19 83.67	29.26	4.60	49.81	40.00
30	प्रा.ख. हमीरपुर	डामर से कुशाऊलीपुरवा मार्ग का नव निर्माण कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	289.53 289.53 223.48 2.08 287.45	60.59	17.79	209.07	100.00
31	नि.ख. मऊ	कोपागंज कसारा मार्ग के (अ0जि0मा0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	233 /2026/आई/1284946/23-1-26/001-23-1002(002)/211/2026-दिनांक-30-03-2026	949.82 934.41 478.44 32.08 902.33	46.47	20.49	835.37	120.00
							कुल योग-	**3072.74**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय न किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 30,72,74,000/- (रूपये तीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

संख्या-685/2026/आई/1408523(1)/23-1-26/006-23-1002(002)/301/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in